Development of economically viable fish farming technology

520. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is an urgent need to develop economically viable fish farming technology to be enforced with a suitable Central legislation on the lines of Tamil Nadu Aquaculture Regulation Act, 1995;

(b) whether it is a fact that no such legislation has been framed to regulate modern technology by any other State Government in this regard; and

(c) if so, whether the Central Government propose to frame a model legislation to encourage the shrimp farming by the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGIRUCLTURE (SHRI MODH. AYUB KHAN): (a) Viable technologies for scientific fish farming including extensive and semi-intensive Shrimp aquaculture have been developed in the country. Since fisheries falls under the purview of the State List in Schedule VII of the Constitution of India, there is no proposal to have any Central legislation for regulating fisheries (including aquaculture) activities.

(b) and (c) The Government of Goa has enacted the Goa (Brackishwater) Fish Farming Regulation Act, 1991. The Central Government have issued Guidelines to the States/Union Territories and other user agencies for sustainable development and management of shrimp aquaculture in the country.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पक्की सड़कें

521. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने गांव अपने निकटतम शहर से पक्की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा उन गांवों को शहर से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) किसी भी राज्य में जिला-वार/क्षेत्र-वार गांवों के सड़कों से जुड़े होने के संबंध में विस्तृत आंकड़े यह मंत्रालय नहीं रखता है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना राज्य का विषय है।

बंजर भूमि का उपयोग

522. **चौधरी हमोहन सिंह:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंजर भूमि के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जाते हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में बंजर भूमि के उपयोग हेतु राज्य-वार कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई है; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए सामाजिक संगठनों को भी भूमि आबंटित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): (क) और (ख) बंजर भूमि विकास विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे समेकित बंजरभूमि विकास योजना, अनुदान सहायता योजना, प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना, निवेशसंवर्धन योजना तथा बंजरभूमि विकास कार्य दल के माध्यम से वनेतर-बंजर-भूमि के सही उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। बंजरभूमि विकास विभाग की इन योजनाओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की अन्य अनेक योजनाएं जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, भूमि विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, आई०ए०ई०पी० और सामाजिक वानिकी योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों को सरकारी बंजरभूमि का वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**